

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
ज़मानत आवेदन संख्या 7343/2023

अमित कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता- श्री विजय कुमार अग्रवाल, निवासी- एच.बी.-165 साल्ट लेक, सेक्टर-3, डाकघर- विधान नगर, थाना- विधान नगर दक्षिण, जिला-24 परगना उत्तर (पश्चिम बंगाल)।

..... याचिककर्ता

बनाम

भारत संघ, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पी पी कंपाउंड, कौशल्या चेम्बर्स-II, रांची सब-जोनल कार्यालय के माध्यम से, डाकघर-जी.पी.ओ., थाना-हिंदपीढी, जिला-रांची।

.....विरोधी पक्षकार

सन्मुख (कोरम) :माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिककर्ता की ओर से

:श्री एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता

:श्री सूरज प्रकाश, अधिवक्ता

:श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता

:सुश्री अमृता सिन्हा, अधिवक्ता

:श्री अभिषेक अग्रवाल, अधिवक्ता

विपक्षी की ओर से

: श्री अनिल कुमार, एडिशनल एस.जी.आई.

:श्रीमती चंदना कुमारी, एडिशनल एस.जी.आई.

की सहायक काउनसल

सी.ए.वी. 09 फरवरी, 2024

01/03/2024 को उद्घोषित

1. यह ज़मानत आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 और 440 के तहत धन संशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद अधिनियम 2002 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 सपठित धारा 70 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के सम्बंध में दर्ज मामला ई.सी.आई.आर.

केस संख्या 01/2023 [ई.सी.आई.आर./आर.एन.जेड.ओ./18/2022 दिनांक 21.10.2022 से उत्पन्न, बरियातु थाना कांड सं. 141/2022 से उद्भूत] में जमानत प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है।

2. प्रस्तुत ई.सी.आई.आर./शिकायत में लगाए गए अभियोग के अनुसार अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, निम्नानुसार पठनीय है:

एक ई.सी.आई.आर. संख्या 18/2022, भा.दं.सं. की धारा 420,467 एवं 471 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट, बरियातु थाना कांड सं. 141/2022 दिनांक 04.06.2022, के आधार पर प्रदीप बागची के विरुद्ध, श्री दिलीप शर्मा, कर संग्राहक, रांची नगर निगम, की शिकायत के आधार पर होल्डिंग नम्बर 0210004194000A1 और 0210004031000A5 प्राप्त करने हेतु कूटरचित कागजात अर्थात आधार कार्ड, बिजली बिल और अधिपत्य पत्र (पोजेशन लेटर) के प्रस्तुतीकरण के लिये दर्ज की गई थी। तफतीश से ज़ाहिर हुआ कि रांची के मोहराबादी मौजा स्थित वार्ड नम्बर 21/19, के लगभग 455.00 डिस्मिल के क्षेत्रफल का प्लॉट का होल्डिंग प्रदीप बागची के नाम से कूटरचित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर हासिल किया गया था

तफतीश में आगे पता चला कि उपरोक्त संपत्ति स्वर्गीय बी.एम. लक्ष्मण राव की थी, जिसे सेना को दिया गया था और यह आजादी के बाद से सेना के कब्जे में रक्षा (विभाग) के अधिपत्य में थी। तफतीश से प्रकट हुआ कि उपरोक्त संपत्ति का एक फर्जी मालिक (प्रदीप बागची) बनाकर, इसे एक कंपनी मेसर्स जगतबंधु टी ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया, जिसकी प्रतिफल राशि 7 करोड़ रुपये दिखाई गई थी, जो कि काफी न्यून मूल्यन थी और इस (राशि) में से उक्त प्रदीप बागची के खाते में केवल 25 लाख रुपये जमा किए गए और शेष धनराशि को विलेख (डीड) संख्या 6888/2021 में चेक के माध्यम से मिथ्या रूप से भुगतान दिखाया गया।

तफतीश के दौरान ज़ाहिर हुआ कि अंचलाधिकारी (सी.ओ.) बरगाई, रांची के साथ-साथ रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, कोलकाता के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में फेरबदल किया गया है और अभिलेखों को उपांतरित किया गया है। सर्किल ऑफिस, बरगाई के साथ-साथ रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, कोलकाता के सर्वेक्षण से ज़ाहिर होता है कि उपरोक्त संपत्तियों पर फर्जी ज़िम्मेदारी गढ़ने के लिए दस्तावेज़ों में हेराफेरी की गयी है।

तफतीश पूरी होने पर, प्रवर्तन निदेशालय ने पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 सपठित धारा 44 के अंतर्गत ई.सी.आई.आर. मामला संख्या 01/2023 के तहत अभियोजन शिकायत, वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध, दायर किया, और परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.06.2023 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिया है।

वर्तमान याचिकाकर्ता को पी.एम.एल. अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत 07.06.2023 को गिरफ्तार किया गया है, तदनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत की मंजूरी के लिए अपराधिक विविध

आवेदन संख्या 1915/2023 को प्रस्तुत किया ,लेकिन इसे ए.जे.सी. - I -सह विशेष न्यायाधीश,सी.बी.आई.-सह-पी.एम.एल.ए. के विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.07.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

इसलिए जमानत की मंजूरी के लिए वर्तमान आवेदन पेश की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की ओर से प्रस्तुत तर्क:

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर तर्क प्रस्तुत किया:

- i. अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के तहत उल्लिखित शर्त का पालन नहीं किया गया है।
- ii. यदि संपूर्ण ई.सी.आई.आर. पर ध्यान दिया जाए तो यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के प्रावधान के अनुसार अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध करने में शामिल कहे जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी करने की प्राथमिक आवश्यकता क्या है।
- iii. अधिनियम, 2002 की धारा 45 के अधीन निर्धारित शर्त भी उपलब्ध नहीं है।
- iv. समानता का आधार भी लिया गया है, चूंकि सह-अभियुक्तों में से एक, दिलीप कुमार घोष को दिनांक 28.11.2023 को जमानत आवेदन (बी.ए.) सं. 7233/2023 में पारित आदेश के माध्यम से इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने जमानत प्रदान की है, और याचिकाकर्ता 07.06.2023 से हिरासत में है।

4. उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय विद्वान अदालत को मामले के इन सभी कानूनी और तथ्यात्मक, दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने से गंभीर त्रुटि घटित हुई है।

5. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, आगे प्रस्तुत किया गया कि उठाए गए प्रश्नों के आधार के अनुसार, यह एक उपयुक्त मामला है जहां याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

उत्तरवादी के विद्वान वकील की ओर से तर्क:

6. जबकि दूसरी ओर, विपक्षी-प्रवर्तन निदेशालय के लिए भारत के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता (ASGI) श्री अनिल कुमार ने निम्नलिखित आधारों पर नियमित जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है:

(i) जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के तहत निर्धारित शर्तों की अनुपलब्धता से संबंधित तर्क है, वह उसी क्षण समाप्त हो गया जब याचिकाकर्ता को आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय द्वारा रिमांड के आदेश के आधार पर हिरासत में भेज दिया गया ।

(ii) रिमांड के उक्त आदेश पर किसी भी समय आपत्ति नहीं की गई है।

(iii) चूंकि रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए यह आधार लेना उपलब्ध नहीं है कि अधिनियम की धारा 19(1) के तहत निर्धारित शर्तें उपलब्ध नहीं हैं जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि याचिकाकर्ता की मिलीभगत के बारे में विश्वास करने का कारण अनुपस्थित है।

(iv) यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि संपूर्ण ई.सी.आई.आर. पर विचार किया जाए तो प्रेडिकेट ऑफेन्स के किए जाने के पर्याप्त अभिकथन हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लेना गलत है कि अधिनियम, 2002 के तहत अपराध किए जाने पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(v) जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत निर्धारित शर्त की गैर पूर्ति का संबंध है, इस तथ्य के मद्देनजर भी इसका कोई महत्व नहीं है कि जुड़वां शर्तें अर्थात्, लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहाँ अदालत संतुष्ट होता है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की कोई संभावना नहीं है, यदि याचिकाकर्ता के आचरण के साथ-साथ संपूर्ण ई.सी.आई.आर. को ध्यान में रखा जाए तो, यह पूरी तरह से पूरी की गई पाई जाएगी।

(vi) जहां तक समानता के सिद्धांत का संबंध है, इस आधार पर कि एक सह-अभियुक्त, अर्थात्, दिलीप कुमार घोष को इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा बी.ए. संख्या 7233/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 द्वारा जमानत दी गई है, उक्त दिलीप कुमार घोष का मामला पूरी तरह से अलग आधार पर है क्योंकि जैसा कि ई.सी.आई.आर. से स्पष्ट होगा कि दिलीप कुमार घोष, अमित अग्रवाल, यहाँ पर याचिकाकर्ता, के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो कि मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के लाभार्थी और मालिक हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले का तथ्य सह-अभियुक्त दिलीप कुमार घोष के तथ्य से अलग है, इसलिए, समानता का

सिद्धांत लागू नहीं होगा।

विश्लेषण:

7. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं, तथा ई.सी.आई.आर. का अवलोकन किया है।

8. यह न्यायालय पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्क पर विचार करने से पहले, अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अंतर्विष्ट विधि के कुछ प्रावधानों पर, इसके उद्देश्य और आशय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायनिर्णयों में निर्धारित विधिक प्रतिपादनों पर चर्चा करना उचित और उपयुक्त समझता है।

यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ, धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम को कुर्क करने, न्यायनिर्णयन और उसके अधिहरण करने, जिसमें इनके केंद्र सरकार में निहित होना भी शामिल है, धन शोधन से निपटने के लिए उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना करने तथा अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कन्वेंशन, 1989 में घोषित बेसल सिद्धांतों का विवरण, 14 से 16 जुलाई, 1989 को पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित FATF, 23.2.1990 के अपने संकल्प संख्या S-17/2 के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए राजनीतिक घोषणापत्र और नोबल प्रोग्राम ऑफ ऐक्सन, 8 से 10 जून, 1998 को, विश्व औषधि समस्या का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में राज्य दलों से एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह किया गया। यह विधेयक के साथ प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण और कथन से स्पष्ट है, जो कि 2002 का अधिनियम बना। यह इस प्रकार पठनीय है:

“परिचय

धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि धन शोधन और इससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धन शोधन निवारण विधेयक, 1998 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई कुछ पहलों का उल्लेख निम्नलिखित है:-

(क) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (कन्वेन्शन), जिसका भारत एक पक्ष है, में औषधि

अपराधों के आगमों और अन्य संबंधित गतिविधियों के शोधन को रोकने तथा ऐसे अपराध से हासिल आगमों के अधिहरण करने का आह्वान किया गया है।

(ख) 1989 में प्रतिपादित बेसल सिद्धांतों के वक्तव्य में उल्लिखित बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिनका पालन बैंकों को धन शोधन की समस्या से निपटने में कानून की प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए करना चाहिए।

(ग) धन शोधन की समस्या की जांच करने के लिए 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में, स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), धनशोधन की समस्याओं की पड़ताल के लिए स्थापित की गई थी, जिसने चालीस सिफारिशों की थीं, जो धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने का आधार सामग्री प्रदान करती हैं। सिफारिशों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक हैं -

- (i) गंभीर अपराधों के माध्यम से किए गए धन के शोधन को एक आपराधिक अपराध घोषित करना;
- (ii) रिपोर्ट करने योग्य ट्रान्जैक्सन/लेनदेन के बारे में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रकटीकरण के तौर-तरीके तैयार करना;
- (iii) अपराध के आगम का अधिहरण करना;
- (iv) धन शोधन को एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना; और
- (v) धन शोधन की तफ़्तीश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(घ) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 फरवरी, 1990 के संकल्प संख्या एस-17/2 द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य देशों से औषधि से संबंधित धन के शोधन के लिए वित्तीय संस्थाओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने और ऐसे शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने का आह्वान करती है।

(ङ) 8 से 10 जून, 1998 को औषधि समस्या का मिलकर मुकाबला करने के लिए विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र ने धन शोधन से निपटने की आवश्यकता के संबंध में एक और घोषणा की है। भारत इस घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है।

9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम 2002 को अन्य बातों के साथ-साथ धन शोधन को रोकने, अपराध के आगमों को कुर्क करने, धन शोधन से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन और उसके अधिहरण करने के लिये और अपराध के आगमों से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा

चलाने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पुरा करने के लिये भी अधिनियमित किया गया था।

10. "अपराध के आगम" की परिभाषा को यहाँ संदर्भित करना आवश्यक है जैसा कि अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(प) के तहत उपबंधित है, जो इस प्रकार है:

"2(प) "अपराध का आगम" से किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य 3[या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी जाती है, तो देश के भीतर रखी गई मूल्य के समतुल्य संपत्ति] 4[या विदेश में] अभिप्रेत है;

[स्पष्टीकरण.- संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है;]"

11. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "अपराध का आगम" का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी जाती है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई मूल्य के बराबर संपत्ति है।

स्पष्टीकरण में यह निर्दिष्ट किया गया है कि शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण 2019 के अधिनियम 23 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है।

12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 2(1)(प) के तहत स्पष्टीकरण देने का कारण इस आशय का स्पष्टीकरण है कि क्या धारा 2(1)(प) के मूल प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या व्युत्पन्न की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या धारण की गई हो, लेकिन स्पष्टीकरण के माध्यम से अपराध के आगम को न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति को शामिल करके व्यापक निहितार्थ दिया गया है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त या की जा सकती हो।

13. धारा 2(1) (फ) के तहत "संपत्ति" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कोई संपत्ति या किसी भी वर्णन की आस्तियां, चाहे वे भौतिक हो या अभौतिक, जंगम हो या स्थावर, मूर्त हो या अमूर्त, और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्तियों के, चाहे वे कहीं भी अवस्थित हों, हक या उनमें के हित को साक्ष्यित करने वाले विलेख और लिखत भी हैं।

14. अनुसूची को धारा 2(1)(भ) में अनुसूची परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची। "अनुसूचित अपराध" को धारा 2(1)(म) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2 (म) "अनुसूचित अपराध" से तात्पर्य है -----

- (i) अनुसूची के भाग क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध; या
- (ii) अनुसूची के भाग ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध, यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपए] या उससे अधिक है; या
- (iii) अनुसूची के भाग ग के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध।"

15. यह स्पष्ट है कि "अनुसूचित अपराध" का तात्पर्य अनुसूची के भाग क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों से है; या अनुसूची के भाग ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों से है, यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपए] या उससे अधिक है; या अनुसूची के भाग ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों से है।

16. धन शोधन के अपराध को अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"3. धन शोधन का अपराध- जो कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से [अपराध के आगम को छुपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने या उपयोग करने और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने सहित] से जुड़ी किसी क्रियाकलाप या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

[स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम से जुड़ी निम्नलिखित क्रियाकलापों या गतिविधियों में से एक या अधिक में लिप्त होने का प्रयास करते या जानबूझकर सहायता करते या जानबूझकर एक पक्ष होना या वास्तव में शामिल पाया जाता है, अर्थात:—

(क) छुपाना; या

(ख) कब्जा; या

(ग) अधिग्रहण; या

(घ) उपयोग; या

(ड) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश (प्रोजेक्ट); या

(च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी हो;

(ii) अपराध की आय से जुड़ी क्रियाकलाप या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति अपराध के आगम को छिपाकर या कब्जे में लेकर या अधिग्रहण करके या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपभोग कर रहा है।]”

17. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "धन शोधन के अपराध" का अर्थ है कि जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, जिसमें अपराध की आय को छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

18. आगे, यह भी स्पष्ट है कि अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहता है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके या किसी भी तरह से इसका उपभोग कर रहा है।

19. धन शोधन के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत किया गया है।

20. अधिनियम, 2002 की धारा 50, प्राधिकारियों को समन करने, दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण और साक्ष्य देने के संबंध में शक्ति प्रदान करती है। त्वरित संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2002 की धारा 50 इस प्रकार पठनीय है:

“50. समन करने, दस्तावेजों पेश करने और साक्ष्य देने, आदि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियाँ:—

(1) निदेशक को, धारा 13 के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात:—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत [रिपोर्टिंग इकाई] का कोई अधिकारी भी है, हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण के लिए विवश करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को ऐसे किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के अनुक्रम में साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है।

(3) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, हाजिर होने और ऐसे किसी विषय के बारे में सत्य कथन करने के लिए बाध्य होगा जिसके सम्बंध में उनकी परीक्षा की जा रही हो अथवा ऐसे कथन करने और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिनकी उससे से अपेक्षा की जाए।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किन्हीं अभिलेखों को परिबद्ध कर सकेगा और ऐसी किसी अवधि के लिये अपने पास प्रतिधारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे:

परंतु कोई सहायक निदेशक या उप निदेशक—

(क) किसी अभिलेख को, ऐसा करने के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध किये बिना परिबद्ध नहीं करेगा; या

(ख) ऐसे किसी अभिलेख को [संयुक्त निदेशक] का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।”

21. अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ "अपराध के आगम" के परिभाषा की व्याख्या पर माननीय शीर्ष न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929 के मामले में विचार किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और आशय को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का विनिश्चय किया है। "अपराध के आगम" की परिभाषा, जैसा कि पारा- 251 में है।

22. विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेन्स) में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो शर्त पूरी की जानी है, उसकी व्याख्या पाराग्राफ-265 से ज़ाहिर होगी। तत्पर संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पाराग्राफ को नीचे दिये गये रूप में संदर्भित किया जा रहा है:

- “265. दूसरे शब्दों में कहें तो, 2019 से पहले की धारा में खुद ही “सहित” शब्द शामिल था, जो अपराध के आगम से जुड़ी विभिन्न क्रियाकलाप या गतिविधि के संदर्भ में किया गया संकेत है। इस प्रकार, मुख्य प्रावधान (जैसा कि स्पष्टीकरण भी) यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के आगम से जुड़ी किसी क्रियाकलाप या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उसे धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध का दोषी माना जाएगा। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा उपवर्णित निर्वचन को स्वीकार किया जाए, तो यह माना जाएगा कि केवल प्रश्नगत संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने से ही अपराध पूरा हो जाएगा। यह अधिनियम की धारा 3 के पीछे विधायी मंशा की प्रभावशीलता को कमजोर करेगा और साथ ही इसमें “पेश या दावा करने” की अभिव्यक्ति से पहले “और” शब्द की अभिव्यक्ति के संबंध में FATF द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की अवहेलना होगी। प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अनुबंध और अभिसमय (कन्वेन्शन्स) यद्यपि राष्ट्रीय विधि (म्युनिसिपल लॉ) का भाग नहीं हो सकते हैं, फिर भी न्यायालयों द्वारा उनका संदर्भ लिया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उक्त संधियों का एक पक्ष है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान और अन्य मौजूदा कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पढ़ा गया है। यह भी देखा गया कि भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमय को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान विश्व समुदाय की उन संस्थाओं को ध्यान में रखता है जिन्हें बनाया गया था। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा में न्यायालय ने कहा कि आंतरिक (डोमेस्टिक) न्यायालयों का दायित्व है कि वे आंतरिक विधियों का निर्वचन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (कन्वेन्शन्स) और मानदंडों को उचित सम्मान दें, विशेषकर तब जब उनके बीच कोई असंगति न हो और आंतरिक विधियों में कोई शुन्यता हो। इस दृष्टिकोण को गीता हरिहरन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ में भी दोहराया गया है।”

23. धारा 50 के निहितार्थ को भी ध्यान में रखा गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ, अर्थात् पैराग्राफ-422, 424, 425, 431, 434 इस प्रकार पठनीय हैं :

“422. इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है। क्योंकि, यह 2002 अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी को अनुसंधान के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका कथन अभिलिखित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, प्रावधान में यह अनिवार्य किया

गया है कि व्यक्ति को जांच के विषय के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान में जात सत्य और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। व्यक्ति को इस तरह दिए गए कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य किया जाता है, इस धमकी के साथ कि झूठ या गलत होने पर उसे 2002 अधिनियम की धारा 63 के अनुसार दंडित किया जाएगा। इससे पहले कि हम मामले का आगे विश्लेषण करें, 2002 अधिनियम की धारा 50 को संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा।-----:

424. इस प्रावधान के द्वारा, निदेशक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय समान शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त किया गया है जैसा कि संहिता 1908 के अधीन एक सिविल न्यायालय में निहित है। यह बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जुर्माना लगाने की निदेशक की शक्तियों से संबंधित 2002 अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में है। धारा 50 को जिस परिवेश में रखा गया है और धारा 13 के तहत जुर्माना लगाने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों के समान निदेशक को सशक्त बनाने का विस्तार स्पष्ट रूप से बहुत विशिष्ट है और अन्यथा नहीं।

425. वास्तव में, धारा 50 की उपधारा (2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम बनाती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के तहत किसी भी अनुसंधान या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। हमने पहले ही इस निर्णय के पहले हिस्से में "कार्यवाही" अभिव्यक्ति की व्यापकता पर प्रकाश डाला है और अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायनिर्णयन प्राधिकरण या विशेष न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। फिर भी, उप-धारा (2) प्राधिकृत अधिकारियों को, किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने के लिये सशक्त करता है। हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 20(3) ऐसे समन के अनुसरण में कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया के संबंध में कैसे लागू होगा जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। बेशक, जिस व्यक्ति को बुलाया गया है, वह व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सत्य बताने के लिए बाध्य है जिसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है या उससे कथन करने और दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के नाते अपेक्षित हो। आलोचना अनिवार्यतः उपधारा (4) के कारण है जो यह प्रावधान करता है कि उपधारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही भा.द.सं. की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20(3) या उस विषय के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, केवल तभी

प्रवर्तन में आएगी जब इस तरह से बुलाया गया व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी अपराध का अभियुक्त हो और उसे खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। एम.पी. शर्मा (मामले) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ऐसी ही चुनौती पर विचार किया था जिसमें अनुसंधान के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट, संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हुए, जारी किए गए थे। इस न्यायालय ने अभिव्यक्त किया कि अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "अभिसाक्षीय बाध्यता" के विरुद्ध है और यह मौखिक साक्ष्य तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, यह तब भी लागू होता है जब व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मौखिक साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी होने मात्र से नहीं हो सकता है। इसके अलावा, गवाह बनना साक्ष्य प्रस्तुत करने से अधिक कुछ नहीं है और ऐसे साक्ष्य विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"मोटे तौर पर कहा जाए तो अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "अभिसाक्षीय बाध्यता" के विरुद्ध है। यह सुझाव दिया जाता है कि यह किसी व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य तक सीमित है, जब वह किसी अपराध के विचारण के दौरान, विटनेस स्टैंड में बुलाया जाता है। हम संवैधानिक गारंटी की अंतर्वस्तु को मात्र इस शाब्दिक अर्थ तक सीमित करने का कोई कारण नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे सीमित करना, इसके मूल उद्देश्य की गारंटी को छीनना होगा और सार्थक के लिए सार को विफल/चूकना करना होगा जैसा कि कुछ अमेरिकी निर्णयों में बताया गया है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह होना" है। कोई व्यक्ति केवल मौखिक साक्ष्य देकर ही नहीं बल्कि दस्तावेज प्रस्तुत करके या गुंगे गवाह के मामले में बोधगम्य हाव-भाव बनाकर भी "गवाह" हो सकता है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें) या इसी तरह। "गवाह होना" "साक्ष्य प्रस्तुत करने" से ज्यादा कुछ नहीं है, और ऐसा साक्ष्य होठों से या किसी चीज़ या दस्तावेज को प्रस्तुत करके या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक दस्तावेज प्रस्तुत करने का संबंध है, निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि समन पर दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं है। लेकिन उस धारा का उद्देश्य प्रतिपरीक्षण (क्रॉस एग्जामिनेशन) के अधिकार को विनियमित करना है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके प्राकृतिक अर्थ में समझा जाए, यानी, साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करना। वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह अभिसाक्ष्य है, और अभिसाक्ष्यी बाध्यता का अर्थ है प्रपीड़न जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य संबंधी कार्यों को प्राप्त करती है, जो उसकी ओर से चुप्पी या समर्पण के नकारात्मक रवैये के विपरीत है। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य

के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में विचारण के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है न कि "गवाह के रूप में पेश होना"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित होने तक दी जाने वाली सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में साक्ष्य संबंधी बाध्यता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्यकारी अभिसाक्ष्य तक भी विस्तारित हो सकती है। इसलिए यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक अभियोग लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर अभियोजन हो सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।" (रेखांकित शब्दों पर जोर दिया गया है।)

431. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि धारा 50 के अधीन प्राधिकारी द्वारा अपराध के आगम के बारे में जांच के संबंध में समन जारी किया जाता है, और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है, जिसे कुर्क किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को समान करने के लिये सशक्त किया गया है। यह आवश्यक रूप से कि नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिये नहीं है। इस अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालांकि वास्तविक अर्थों में जांच के रूप में है, अपराध के आगम के बारे में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि परिस्थिति ऐसा करने की मांग करती है, और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अलग बात है कि जांच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध के किए जाने और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समन के अनुसरण में खुलासा करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के धन शोधन के अपराध में अभियुक्त के रूप में शामिल होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से धन शोधन के अपराध या अपराध के आगम के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अपराध का आगम होने वाली संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए कोई अनुसंधान नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ कोई औपचारिक अभियोग नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और सबूतों के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस

प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत प्राधिकारी निश्चित रूप से उसके खिलाफ उसके द्वारा किए गए कार्यों या लोप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो अनुच्छेद धारा 20(3) या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, यह आग्रह करने के लिये कि यह संस्वीकृति की प्रकृति का है, इसलिए उसके खिलाफ साबित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।

434. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को दी गई शक्ति अपराध के आगम के अस्तित्व और उससे संबंधित क्रियाकलाप या गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए है, ताकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके, जिसमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की और अधिहरण शामिल हैं, जो अंततः केंद्र सरकार में निहित है।”

24. उपर्युक्त संप्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि 2002 अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य, जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, केवल धन शोधन के अपराध के लिए दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि धन शोधन की रोकथाम के लिए उपाय प्रदान करना भी है। यह अपराध के आगम की कुर्की के लिए भी प्रावधान करता है, जिसे छुपाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या किसी भी तरह से निपटाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 2002 अधिनियम के तहत ऐसे आगम की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है। यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को लेनदेन (ट्रान्जैक्शन) के रिकॉर्ड रखने, 2002 अधिनियम के अध्याय IV के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ऐसे लेनदेन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य करता है।

25. उपरोक्त निर्णय में विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) पर विचार किया गया है, जिसमें धारा 2(1)(प) के अंतर्गत निहित "अपराध के आगम" की परिभाषा के तहत 2019 के अधिनियम 23 के माध्यम से अंतर्लिखित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा और जिसके तहत, संदेह को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि, "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त हुई हो, जिसका अर्थ है, "कोई भी संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई हो" वाक्यांश अपराध के आगम के दायरे में आएंगे।

26. जहां तक धारा 45(1)(i)(ii) के तात्पर्य का संबंध है, उपर्युक्त प्रावधान गैर-बाधा (नॉन-ऑब्सटेंटे) खंड से शुरू होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दे दिया गया है; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

इसकी उप-धारा (2) उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत प्रदान करने को परिसिमित करती है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन जमानत प्रदान करने पर परिसीमा के अतिरिक्त।

इसकी उपधारा (2) के अधीन स्पष्टीकरण भी है जो कि संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से है, एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया गया है कि अभिव्यक्ति "संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध" का अर्थ होगा और इसका हमेशा यही अर्थ समझा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध होंगे, बावजूद इसके कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इसके विपरीत कुछ भी अंतर्विष्ट हो, और तदनुसार इस अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारियों को धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

27. धारा 45 के निहितार्थ के बारे में तथ्य की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** (सुप्रा) के पैराग्राफ-371-374 में की गई है। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त पैराग्राफों को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जा रहा है:

"371. अधिनियम, 2002 में जमानत के संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों को, अध्याय VII में इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में, धारा 44(2), 45 और 46 में पता लगाया जा सकता है। मुख्य शिकायत (grievance), अधिनियम 2002 की धारा 45 में विनिर्दिष्ट दोहरी (twin) शर्तों के बारे में है। इससे पहले कि हम आगे विस्तारित करें, धारा 45 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जैसा कि संशोधित किया गया है. यह इस प्रकार पठनीय है:

"45. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना,- (1) [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] में किसी बात के होते हुए भी,

(1) [इस अधिनियम के अधीन] किसी अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति जमानत पर या स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि'

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत का यह समाधान नहीं हो जाता कि यह विश्वास करने का समुचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति यदि सोलह वर्ष की आयु से कम का है, या महिला है या बीमार या अशक्त है, [या तो अपने आप या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक करोड़ रुपये से कम की राशि के धन-शोधन का आरोपी है], तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे:

परन्तु यह और कि विशेष अदालत, निम्नलिखित द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के सिवाय, धारा 4 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा-

(i) निदेशक; या

(ii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी ऐसे लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकृत किया गया हो, जिसे उस सरकार ने इस निमित्त किया हो।

[(1क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा और, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया जाए]

(2) उपधारा (1) [***] में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की परिसीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत मंजूर करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त है।

[स्पष्टीकरण.-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति " अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होने" का अर्थ होगा और इसका हमेशा यह अर्थ समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय अपराध और अजमानतीय अपराध होंगे, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों को धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार है।]

372. धारा 45 को 2005 के अधिनियम 20, 2018 के अधिनियम 13 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के द्वारा संशोधित किया गया है। 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पठनीय हैं। धारा 45 की उपधारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि वह तब थी, निकेश ताराचंद शाह में विचार किया गया था। इस न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) को, जैसा कि वह तब थी, जमानत पर रिहाई के लिए दो अतिरिक्त शर्तें लगाने के मामले को असंवैधानिक घोषित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। जिन दो शर्तों का उल्लेख जुड़वां शर्तों के रूप में किया गया है वे हैं: (i) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है., और

(ii) जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध कारित करने की संभावना नहीं है।

373. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा जुड़वा शर्तों को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसलिए वे अभिलोपित हो गई हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए मणिपुर राज्य के (मामले की) सुक्ति का अवलम्बन लिया गया है।

374. हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है: क्या निकेश ताराचंद शाह में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी कानून की पुस्तक में ये जुड़वा शर्तें बनी रहीं और यदि हां, तो 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) में 2018 के अधिनियम 13 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई महत्व नहीं होगा। यह तर्क हमें, लंबे समय तक, रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मणिपुर राज्य के निर्णय के पैराग्राफ 29 में यह मताभिव्यक्ति कि न्यायालय द्वारा यह घोषित किए जाने के कारण कि विधि असंवैधानिक है, विधि पूरी तरह से समाप्त हो जाता है जैसे कि इसे कभी पारित ही नहीं किया गया था, प्रसंग का मामला है। इस मामले में, न्यायालय निरसीत अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने निरसित अधिनियम पर ध्यान दिया था और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त अवलोकन किया था। तर्क की प्रक्रिया में, इसने बेहराम खुर्शीद पेसिकाका और दीप चंद के साथ साथ कूली ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशन्स और नॉर्टन बनाम शेलबी काउंटी में की गई अमेरिकी न्यायशास्त्र के प्रतिपादन पर उल्लेख किया था।"

28. इसके बाद, माननीय शीर्ष न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, (2023) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1486 के मामले में विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) में माननीय शीर्ष न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया है कि चूंकि धारा 45 के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं, इसलिए इनका अनुपालन किया जाना जरूरी है। न्यायालय का इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है

कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

यह भी अभिव्यक्त किया गया है कि अधिनियम की धारा 24 के अधीन अनुज्ञात संविधिक उपधारणा के अनुसार, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, न्यायालय या प्राधिकरण को यह उपधारण करने का अधिकार है कि अधिनियम के अधीन अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के अधीन धन शोधन के अपराध के लिये आरोपित व्यक्ति के मामले में ऐसे अपराध के आगम धन शोधन में शामिल है। पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 71 के अधीन, पी.एम.एल. अधिनियम को तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि पर अधिभावी प्रभाव को देखते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी, पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन करना होगा। तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-17 इस प्रकार पठनीय है:

“17. जैसा कि अब तक स्थापित हो चुका है, धारा 45 के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं। उनका अनुपालन करना आवश्यक है। न्यायालय का इस बात का समाधान होना अपेक्षित है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत संविधिक उपधारणा के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह उपधारणा करने का हकदार है, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के अधीन अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के अधीन धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध के आगम ऐसे धन शोधन में शामिल है। पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 71 के अधीन, पी.एम.एल. अधिनियम को तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि पर अधिभावी प्रभाव को देखते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी, पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन करना होगा।”

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे यह निर्धारित किया है कि जमानत का लाभ देने से पहले अधिनियम, 2002 की धारा 45 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जुड़वां शर्तों का पालन किया जाना है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा)** में निपटारण किया है, जिसमें यह संप्रेक्षित किया है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय में पैराग्राफ 284 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए केवल तभी मुकदमा चलाना

है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना अपेक्षित है, कि व्यक्ति के कब्जे में अपराध का आगम है। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाता हो, जो अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता को इंगित करता है, तो अधिनियम के तहत अपराध के आगम की कुर्की और जब्ती के लिए कार्रवाई की जा सकती है, केंद्र सरकार में इसके निहित होने तक, शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार, मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, (2015) 16 एस.सी.सी. 1 के माध्यम से**, के मामले में पैराग्राफ - 30 में यह निर्धारित किया है कि पी.एम.एल.ए. की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं और उनका अनुपालन किया जाना जरूरी है जिसे पी.एम.एल.ए. की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 में यह अपेक्षित है कि दं.प्र.सं. के प्रावधान वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं और धारा 71 यह प्रावधान करती है कि पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अधिभावी प्रभाव होगा। पी.एम.एल.ए. का अधिभावी प्रभाव होता है और दं.प्र.सं. के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हों।

अतः, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी पी.एम.एल.ए. की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि धन शोधन में अपराध का आगम शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध का आगम शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर है। तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-30 इस प्रकार है:

“30. पी.एम.एल.ए. की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसे पी.एम.एल.ए. की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 में यह अपेक्षित है कि दं.प्र.सं. के प्रावधान वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं और धारा 71 यह प्रावधान करती है कि पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अधिभावी प्रभाव होगा। पी.एम.एल.ए. का अधिभावी प्रभाव होता है और दं.प्र.सं. के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हों। इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी पी.एम.एल.ए. की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि धन शोधन में अपराध का आगम शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध का आगम शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर है।”

32. तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने धारा 45 के निहितार्थ और समानता के सिद्धांत को पाराग्राफ 17 और 18 में फिर से दोहराया है। समानता के मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाराग्राफ 18 में यह संप्रेक्षित करते हुये विचार किया गया है कि समानता कानून नहीं है। समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को उस अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित है, जिसका आवेदन विचाराधीन है। त्वरित संदर्भ के लिए, पाराग्राफ 17 और 18 इस प्रकार पठनीय हैं:

“17. जैसा कि अब तक स्थापित हो चुका है, धारा 45 के तहत विनिर्दिष्ट शर्तें आज्ञापक हैं। उनका अनुपालन करना आवश्यक है। न्यायालय का इस बात का समाधान होना अपेक्षित है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह उपधारणा करने का हकदार है, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के अधीन अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के अधीन धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध के आगम ऐसे धन शोधन में शामिल है। पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 71 के अधीन, पी.एम.एल. अधिनियम को तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि पर अधिभावी प्रभाव को देखते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी, पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन करना होगा।

18. विद्वान अधिवक्ता श्री लूथरा द्वारा अपीलकर्ता को इस आधार पर जमानत दिए जाने का निवेदन कि अन्य सह-अभियुक्तों को भी जमानत दी गई है, जो अपीलकर्ता के समान ही स्थिति में थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि समानता कानून नहीं है। समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को उस अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जिसका आवेदन विचाराधीन है। यह विवादित नहीं है कि मुख्य अभियुक्त श्री केवल कृष्ण कुमार, SBFL के प्रबंध निदेशक और KMP ऑफ ग्रुप कम्पनीज तथा अन्य अभियुक्त देवकी नंदन गर्ग, विभिन्न शेल कंपनियों के मालिक/संचालक/नियंत्रक को शारीरिक दुर्बलता और चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी। सह-अभियुक्त रमन भूरारिया, जो SBFL के आंतरिक लेखा परीक्षक थे, को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, हालांकि उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को विपक्षी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष SLP (Cri.) नं. 9047/2023 दायर करके चुनौती दी गई है और यह विचाराधीन लंबित है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से किए गए उक्त प्रस्तुतीकरण को खारिज करते हुए, रमन भूरारिया के मामले को अलग किया था और यह संप्रेक्षित किया था कि रमन भूरारिया के विपरीत, जो कि SBFL के आंतरिक लेखा परीक्षक थे (थोड़े समय के लिए SBFL वैधानिक लेखा परीक्षक), आवेदक खरीद के उपाध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष के रूप में, वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। यह भी संप्रेक्षित किया गया कि अपीलकर्ता की भूमिका वित्तीय स्थिति से पता चलती है, जहां प्रत्यक्ष ऋण निधि SBFL की सहायक कंपनियों को गबन कर लिया गया है, जहां अपीलकर्ता या तो शेयरधारक था या निदेशक था। किसी भी मामले में, रमन भूरारिया को

जमानत देने का आदेश इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचाराधीन है, हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।”

33. जहां तक इस आधार का सवाल है कि माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में दिए गए फैसले को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि यदि जांच पूरी हो गई है और यदि आरोपी व्यक्तियों का पूरा सहयोग रहा है, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत के उद्देश्य से अपराधों को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया है। संदर्भ उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ -2 से लिया जा सकता है जो इस प्रकार पठनीय है:

“2. हस्तक्षेप के लिए आवेदन की अनुमति देने के बाद, 7-10-2021 को एक उचित आदेश पारित किया गया [सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई., (2021) 10 एस.सी.सी. 773 : (2022) 1 एस.सी.सी. (क्रि) 153]। इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: (सतेंद्र कुमार अंतिल मामला [सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई., (2021) 10 एस.सी.सी. 773 : (2022) 1 एस.सी.सी. (क्रि) 153], एस.सी.सी. पीपी. 774-76, पैरा 2-11)

“2. हमें श्री एस.वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील दोनों द्वारा सहायता प्रदान की गई है और विद्वान ए.एस.जी. द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में व्यापक एकमतता है। सुझावों के अनुसार, अपराधों को वर्गीकृत किया गया है और संबंधित अदालतों के विवेक को बाधित किए बिना और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जमानत देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने की मांग की गई है।

3. हम दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और उन्हें निचली अदालतों के लाभ के लिए, अदालत के आदेश का हिस्सा बनाने के इच्छुक हैं। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

'अपराधों की श्रेणियां/प्रकार

(ए) 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराध जो श्रेणी बी और डी में नहीं आते हैं।

(बी) मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध।

(सी) एन.डी.पी.एस. (धारा 37), पी.एम.एल.ए. (धारा 45), यू.ए.पी.ए. [धारा 43-डी(5)], कंपनी अधिनियम, [धारा 212(6)], आदि जैसे जमानत के लिए कड़े प्रावधानों वाले विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध।

(डी) आर्थिक अपराध जो विशेष अधिनियमों के अधीन नहीं आते हैं।

अपेक्षित शर्तें

(1) अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया हो.

(2) जांच में पूरी तरह सहयोग किया, जिसमें जब भी बुलाया गया, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना भी शामिल है।

(ऐसे आरोपी को आरोप पत्र के साथ अग्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है (सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 1 एस.सी.सी. 676 : (2022)1 एस.सी.सी. (क्रि.) 423])

श्रेणी A

आरोप पत्र /परिवाद दायर करने के बाद संज्ञान लेना

- (ए) पहली बार में साधारण समन/वकील के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति सहित शामिल है।
- (बी) यदि ऐसा आरोपी समन की तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो भौतिक/सदेह उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
- (सी) जमानती वारंट जारी करने के बावजूद हाज़िर होने में विफल होने पर गैर जमानती वारंट (NBW)।
- (डी) NBW को रद्द किया जा सकता है, या जमानती वारंट/समन में परिवर्तित किया जा सकता है, अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना, यदि अभियुक्त की ओर से ऐसा आवेदन NBW के निष्पादन से पूर्व अगली तारीख/सुनवाई पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के अभियुक्त के वचन पर प्रस्तुत किया जाता है।
- (इ) ऐसे अभियुक्त के उपस्थिति पर अभियुक्त के ऐसे जमानत आवेदनों का विनिश्चय, उसे शारीरिक हिरासत में लिए बिना या जमानत आवेदन पर निर्णय होने तक अंतरिम जमानत देकर, किया जा सकता है।

श्रेणी B/D

आदेशिका के अनुसरण में अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर, जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

श्रेणी C

श्रेणी बी और डी के समान ही एन.डी.पी.एस. (धारा 37), पी.एम.एल.ए. की धारा 45, कंपनी अधिनियम की धारा 212(6), यू.ए.पी.ए. की धारा 43-डी(5), पोस्को आदि के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ। ...”

34. हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 109** के मामले में अभिव्यक्त किया है कि सामान्य दंडात्मक अपराधों के मामले में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक विचार कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश के पक्ष में झुकना चाहिए - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा उचित सिद्ध न करें - यू.ए.पी.ए. के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में कोई स्थान नहीं पाता है और यू.ए.पी.ए. के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग', दायरे में गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

“28. सामान्य दंडनीय अपराधों के मामले में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक अवधारणा यह है कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - के पक्ष में झुकना चाहिए - जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा उचित सिद्ध न करती हों - यू.ए.पी.ए. के तहत जमानत आवेदनों से निपटने के दौरान कोई स्थान नहीं पाता है। यू.ए.पी.ए. के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग' दायरे के लिहाज़ से गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है। धारा 43 डी (5) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों का रूप - 'रिहा नहीं किया जायेगा' - धारा 437(1) दं.प्र.सं. में पाए जाने वाले शब्दों- 'रिहा किया जा सकता है'- के विपरीत है, जो कि विधानमंडल की, जमानत को अपवाद और जेल को नियम बनाने की, मंशा को दर्शाता है।”

35. इस निर्णय का हवाला देने का कारण यह है कि **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. और अन्य** (सुप्रा) के निर्णय में यू.ए.पी.ए. को भी श्रेणी 'C' के दायरे में लाया गया है, जिसमें यह अभिव्यक्ति डाली गई है कि यू.ए.पी.ए. में यह श्रेणी 'C' के अंतर्गत आता है जिसमें धन शोधन का अपराध भी शामिल है, जिसमें जांच पूरी होने पर जमानत देने का निर्देश दिया गया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** (सुप्रा) में यह ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण अपनाया है कि यू.ए.पी.ए. के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध भी श्रेणी 'C' के अंतर्गत आते हैं, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जेल नियम है और जमानत अपवाद है।

36. अब याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए आधार पर आते हुए, अर्थात्,

- i. अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के तहत निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है।
- ii. यदि संपूर्ण ई.सी.आई.आर. पर ध्यान दिया जाए, तो यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के प्रावधान के अनुसार अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध करने में शामिल कहे जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी करने की प्राथमिक आवश्यकता क्या है।
- iii. अधिनियम, 2002 की धारा 45 के अधीन निर्धारित शर्त उपलब्ध नहीं है।

37. उपर्युक्त तर्क को समझने के लिये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के तहत उल्लिखित शर्त का संबंध है, यह याचिकाकर्ता का आधार नहीं है कि अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के प्रावधान के मद्देनजर, गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के कारण की कोई सूचना नहीं दी गई थी।

धारा 19(1) उपबंधित करता है कि अधिनियम, 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति है, जिसका प्रयोग गिरफ्तारी के बाद, यथाशीघ्र लिखित रूप में, आदेश संप्रेषित करके किया जाना है।

38. उपर्युक्त प्रावधान को इस शर्त तक स्पष्ट कर दिया गया है कि **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'जैसे ही' (as soon as) का क्या अर्थ है, जिसके पैराग्राफ 458 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिव्यक्ति किया गया है कि गिरफ्तारी के बाद, जितनी जल्दी हो सके, व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और जैसे ही उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित

किया जाता है, वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन हो जाता है। इसके अलावा, गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने से पहले या प्रत्येक अवसर पर रिमांड के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय धन शोधन के अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक अभिलेखों पर गौर करने के लिए स्वतंत्र है।

39. इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1244** में यह अभिनिर्धारित किया है कि लिखित संसूचना गिरफ्तारी से पहले दिया जाना है, जो कि अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के तहत किया जाना है इस शब्द का उपयोग करके कि अब से लिखित संसूचना अपीलकर्ता को दिया जाना है, जिसे अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया जाना है।

40. यह न्यायालय इन निर्णयों का हवाला दे रहा है, यद्यपि कि याचिकाकर्ता ने तर्क नहीं किया है और यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है, अर्थात् गिरफ्तारी का कारण संसूचित करने का कोई संसूचना नहीं है। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिया गया है, लेकिन रिमांड के उक्त आदेश को किसी भी फोरम के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, जो यह सुझाव देता है कि जहां तक धारा 19(1) के प्रावधान के अनुपालन नहीं होने का संबंध है, याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं है।

41. जहां तक धारा 19(1) के तहत उपबंधित विश्वास करने का कारण या अधिनियम की धारा 45 के तहत उपलब्ध दोहरी (ट्विन) शर्त का संबंध है, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या इन धाराओं में उपबंधित शर्तों का पालन किया गया है या नहीं, वर्तमान याचिकाकर्ता के बयान पर विचार करना आवश्यक है, जिसका उल्लेख प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र के पैरा-8.10 में किया गया है। तत्पर संदर्भ के लिए, इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“8.10 अमित कुमार अग्रवाल (अभियुक्त संख्या 3) –

- PMLA की धारा 50 (RUD No. 74) के तहत दिए गए दिनांक 07.06.2023 के अपने बयान में उसे जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में नकद जमा करने और उसके बाद राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर करने (के तथ्य) का सामना कराया गया, जिस पर उसने जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से POC के शोधन की वास्तविकता को छिपाने की कोशिश की और ट्रान्जैक्सन को बेदाग प्रोजेक्ट करने के लिए भ्रामक जवाब दिए। उसने आगे कहा कि उसके पास अभी भी राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं और पिछले साल तक वह इस कंपनी का निदेशक रहा हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिलीप कुमार घोष भी राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे।

- दिनांक 10.06.202(RUD No. 76) के अपने बयान में, उन्होंने स्वीकार किया कि बिकाश जना और दीपक कुमार साह, जिन्होंने जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में भारी नकदी जमा की थी, उनके कर्मचारी हैं और, आगे स्वीकार किया कि वह

उन्हें वेतन देते हैं। उन्हें जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की ईमेल आईडी (के तथ्य), से सामना कराया गया, जिसका उल्लेख IDFC फर्स्ट बैंक के खाता खोलने के फॉर्म में rajeshauto@gmail.com के रूप में किया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का सारा काम उनकी कंपनी के कर्मचारी करते हैं और इस प्रकार काम को कुशलतापूर्वक और सुविधाजनक तरीके से करने के लिए ईमेल आईडी rajeshauto@gmail.com के रूप में उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, यह देखा गया है कि आरोपी व्यक्ति दिलीप कुमार घोष और जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपराध के आगम के शोधन से जुड़े कार्यकलापों को छिपाने के प्रयास में बार-बार भ्रामक उत्तर दे रहा है।

- अपने पहले के बयान में उसने कहा था कि जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और राजेश ऑटो मर्चेन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड के बीच ट्रान्जैक्सन उधार और ऋण के थे। दिनांक 11.06.2023 (RUD No.75) के अपने बयान में, उससे किसी भी दस्तावेज के बारे में पूछा गया था, जो उपरोक्त दोनों कंपनियों के बीच ऋण या उधारी साबित कर सके, पर, वह ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

- अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि 02.09.2021 से 14.09.2021 की अवधि के बीच, दिलीप कुमार घोष को अमित कुमार अग्रवाल से संबंधित सात कंपनियों के निदेशक (के पद से) हटा दिया गया था और 01.10.2021 को संपत्ति जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत की गई थी। जब आरोपी अमित कुमार अग्रवाल से दिलीप कुमार घोष को उनकी कंपनियों के निदेशक के रूप में हटाने के कारणों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने दिलीप कुमार घोष को एक अलग इकाई के रूप में दिखाने के मुख्य इरादे को छुपाया और भ्रामक जवाब दिए और कहा कि उन्हें लगा कि उनकी कंपनियों में निदेशक के रूप में श्री दिलीप कुमार घोष की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार इन्होंने उन्हें हटा दिया।

अमित कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार घोष के उपरोक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि दिलीप कुमार घोष अमित कुमार अग्रवाल के सहयोगी और भरोसेमंद लोगों में से एक हैं, जिन्होंने धन शोधन से जुड़े उनके क्रियाकलापों में उनकी सहायता की।

42. दिनांक 12.06.2023 के अभियोजन शिकायत से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वास्तव में मामले के अन्य आरोपियों के साथ एम.एस प्लॉट संख्या 557, मौजा मोरहाबादी में 4.55 एकड़ (455 डिसमिल) भू-संपत्ति के रूप में 20,75,84,200/- रुपये के अपराध के आगम के अधिग्रहण से जुड़ी गतिविधियों में एक पक्ष था, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 41,51,68,390/- रुपये (01.08.2021 से प्रभावी संशोधित दरों के अनुसार) है।

43. वर्तमान याचिकाकर्ता ने मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर प्रतिनिधित्व कर के, अपने कर्मचारी और एक करीबी विश्वासपात्र, दिलीप कुमार घोष, जिनके द्वारा सम्पत्ति विलेख सं. 6888 दिनांक 01.10.21 का अधिकृत (होने के तौर पर) काम किया गया।

44. यह भी स्पष्ट है कि 16.10.2020 से 25.07.2022 की अवधि के दौरान, जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के IDFC फर्स्ट बैंक खाता संख्या 10060532973 में 4,69,80,000/- रुपये की राशि जमा की गई थी, जिसे बाद में याचिकाकर्ता से जुड़ी कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो बताता है कि याचिकाकर्ता मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का लाभकारी मालिक है।

45. यह भी प्रकट हुआ है कि संपत्ति को मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रखकर हासिल किया गया था, जिसका लाभकारी मालिक अमित कुमार अग्रवाल है। मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट के निदेशक, दिलीप कुमार घोष और उनकी पत्नी श्रीमती सुतापा घोष हैं। दिलीप कुमार घोष एक कर्मचारी भी है और अमित कुमार अग्रवाल बहुत करीबी विश्वासपात्र है। वह पता जहां कंपनी मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के बही खाते रखी जाती हैं, अमित कुमार अग्रवाल और उनके भाइयों, अमर कुमार अग्रवाल और राजेश अग्रवाल (यहां अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के रूप में संदर्भित) की विभिन्न कंपनियों का कॉर्पोरेट कार्यालय है। दिलीप कुमार घोष पहले अमित कुमार अग्रवाल से जुड़ी कई कंपनियों से जुड़े रहे हैं।

46. अन्वेषण में यह सामने आया है कि FKI हाउस, F3, ब्लॉक जीपी सेक्टर कोलकाता, पश्चिम बंगाल वी.एफ.एस बिधाननगर, 700091 में की गई तलाशी के दौरान, जो वह पता है, जहां कंपनी मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के बही खाते का रख रखाव की जाती है, को जप्त किया गया था।

47. इन दस्तावेजों की जप्ती गवाही देती है कि मेसर्स राजेश ऑटो मर्चेन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड एकीकृत संस्थाएं हैं और सामूहिक रूप से अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा इसका देखरेख और संचालन किया जाता है। दिलीप कुमार घोष उक्त अग्रवाल समूह की कई कंपनियों के निदेशक हुआ करते थे और उन्होंने 02.09.2021 से 14.09.2021 की अवधि के दौरान अग्रवाल समूह की उपरोक्त कंपनियों के निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। उनके पद से हटने के तुरंत बाद, यानी 01.10.2021 को, रक्षा संपत्ति जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हो गई।

48. यह आरोप लगाया गया है कि अग्रवाल समूह की उपरोक्त कंपनियों से दिलीप कुमार घोष को निदेशक पद से हटाना एक सोची-समझी साजिश थी और दिलीप कुमार घोष को अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज से एक अलग और पृथक इकाई के रूप में पेश करने और जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा के कब्जे की संपत्ति हासिल करने की अमित कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार घोष के बीच साजिश थी।

49. जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के KYC में निदेशकों की ईमेल आईडी दिलीप कुमार घोष ने sanyuktvanijya@gmail.com दी है और श्रीमती सुतापा घोष की ईमेल आईडी rajeshauto@gmail.com है। MCA डेटा में, संयुक्त वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) 074999WB2012PTC175051) का ईमेल पता rajeshauto@gmail.com के तौर पर दिया गया है।

50. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राजेश ऑटो मर्चेन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी जो राजेश कुमार अग्रवाल और अमर कुमार अग्रवाल, (अमित कुमार अग्रवाल के भाई) के स्वामित्व में है और संयुक्त वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड की ईमेल आईडी का उपयोग मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के KYC में

किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो पूरी तरह से अमित कुमार अग्रवाल के नियंत्रण में है।

51. इस प्रकार, एकत्र की गई उपरोक्त सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किए गए अपराध के होने का विश्वास करने का कारण है।

52. अब समता के आधार पर आते हैं। कानून अच्छी तरह स्थापित है कि समानता के सिद्धांत को लागू किया जायेगा, यदि तथ्य का मामला बिल्कुल समान है तो ही आदेश पारित करने के मामले में समानता का सिद्धांत लागू किया जायेगा है, लेकिन यदि तथ्यों के बीच अंतर है तो समता के सिद्धांत को लागू नहीं किया जायेगा है।

53. कानून का यह भी स्थापित अर्थ है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता और जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा और केवल यह कहना कि किसी अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, यह विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना, (2021) 6 एस.सी.सी. 230** में दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

“25. हम यह संप्रेक्षित करने के लिए विवश हैं कि जमानत प्रदान करने का उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, कानून के तहत मान्य नहीं। वे कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता और दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता से अनभिज्ञ और मासूम हैं। नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एस.सी.सी. 508:] में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। इस न्यायालय ने अभिव्यक्त किया: (एससीसी पृष्ठ 515, पैरा 17)

“17. प्रस्तुत मामले पर आते हुये, यह पाया गया कि जब यह स्टैंड लिया गया कि दूसरा विपक्षी हिस्ट्रीशीटर है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह हर पहलू की जांच करे और मनमाने ढंग से यह दर्ज न करे कि दूसरा विपक्षी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि यह समानता का मामला नहीं था और इसलिए, आक्षेपित आदेश [मिट्ठन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन इला. 16031] स्पष्ट रूप से विवेक का अनुपयोग करने को उजागर करता है। इसके अलावा, तथ्य के तौर पर यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि दूसरे विपक्षी को कई अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में आरोप-पत्रित किया गया है। उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा है। इसलिए, आदेश को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसे मंजूरी देना न्याय का उपहास करने के समान होगा, और तदनुसार हम इसे खंडित करते हैं।”

26. मामले का एक और पहलू जिस पर जोर देने की जरूरत है, कि जिसमें उच्च न्यायालय ने समानता के सिद्धांत को लागू किया है। अपने दो आदेशों, दोनों दिनांक 21-12-2020, [प्रवीणभाई हीराभाई कोली बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2986], [खेताभाई परबतभाई मकवाना बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2988], के द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रवीण कोली (A-10) और खेता परबत कोली (A-15) को जमानत दे दी (जैसा कि उच्च न्यायालय ने लिपिबद्ध किया है)। इस आधार पर सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला (A-13) के साथ समानता की मांग की गई थी, जिसे 22-10-2020 को जमानत दी गई थी [सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2985] इस आधार पर (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया) कि उसे "लाठी से लैस होने की समान भूमिका सौंपी गई थी"। फिर, वनराज कोली (A-16) को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था, और इस आधार पर कि प्रवीण (A-10), खेता (A-15) और सिद्धराजसिंह (A-13) जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समानता के केंद्रीय पहलू को गलत समझा। जमानत देते समय समानता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि जमानत पाने वाला दूसरा आरोपी भी इसी तरह के हथियार से लैस था, यह विनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। समानता के पहलू को तय करने में, आरोपी से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति एवं पीड़ितों से जुड़ी स्थिति निहायत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय ऊपर बताए गए समानता के सरल मूल्यांकन पर आगे बढ़ा है, जो फिर से कानून के तहत मान्य नहीं हो सकता है।"

54. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा) में, जिसमें पैराग्राफ 18 में, जैसा कि ऊपर उद्धृत और संदर्भित किया गया है, यह निर्धारित किया है कि समानता कानून नहीं है और, समानता के सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालय को उस अभियुक्त से जुड़ी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है जिसका आवेदन विचाराधीन है।

उक्त निर्णय में आगे कहा गया है कि समानता के सिद्धांत को जमानत के मामले में लागू किया जायेगा लेकिन साथ ही इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि सह-अभियुक्त व्यक्ति को तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना या ऐसे आधार पर जो उचित कहा गया, जमानत दी गई है, तो केवल इसलिए कि सह-अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, वह इस सिद्धांत पर समानता के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगा कि अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की परिकल्पना करता है न कि नकारात्मक समानता की। तत्काल संदर्भ के लिए, उपर्युक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-19, इस प्रकार पठनीय है:

"19. यह स्वयंसिद्ध है कि समानता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालाँकि, यदि किसी

व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य व्यक्ति उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्चतर या सर्वोच्चतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि किसी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कानूनी आधार या औचित्य के बिना कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।”

55. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता का मामला दिलीप कुमार घोष के समान है, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है, दिलीप कुमार घोष और याचिकाकर्ता द्वारा कारित कृत्य के संबंध में, स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, ई.सी.आई.आर. में उपलब्ध अभियोगी व्यक्तियों का गवाह के रूप में पूछताछ के दौरान सामने आए अभियोग पर विचार करने की आवश्यकता है।

56. यह न्यायालय निम्नलिखित पैराग्राफों को संदर्भित करना सही और उचित समझता है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या अधिनियम, 2002 की धारा 3 के संघटक को आकर्षित करने वाले प्रेडिकेट ऑफेन्स के कारित करने में दिलीप कुमार घोष की जवाबदेही, अमित अग्रवाल, यहां याचिकाकर्ता, के मामले के समतुल्य है।

3. पी.एम.एल.ए. के तहत अपराध/अभियोग/आरोप/शामिल राशि के संक्षिप्त तथ्य

3.3 अन्वेषण से प्रकट हुआ कि उपरोक्त-कथित दो होल्डिंग संख्या 0210004194000A1 और 0210004031000A, रांची में 455.00 डिस्मिल क्षेत्रफल वाली संपत्ति - प्लॉट संख्या MS 557, मोरहाबादी मौजा, वार्ड संख्या 21/19 के लिए प्राप्त की गई थी। यह भी प्रकट हुआ कि उपरोक्त-कथित संपत्ति बाद में, कथित प्रदीप बागची (आधार संख्या 511337882315, पैन (AMBPB1317J) द्वारा एक कंपनी मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (पैन AABCJ3705 F) जिसका प्रतिनिधित्व इसके निदेशक दिलीप कुमार घोष करते हैं, (जिनका आधार संख्या 912605787465 है), को बेच दी गई थी और यह SRO रांची के कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका डीड नंबर 6888, वॉल्यूम नंबर 919, पेज नंबर 525-576, वर्ष 2021 है। 01.10.2021 को पंजीकृत इस संपत्ति के बिक्री विलेख (RUD No. 7) से दृष्टिगत होता है कि उक्त संपत्ति का घोषित सरकारी मूल्य/बाजार मूल्य 20,75,84,200/- रुपये है, जबकि उक्त संपत्ति की प्रतिफल राशि 7,00,00,000 दिखाई गई है, जो सरकार द्वारा अधिघोषित दर की तुलना में काफी कम आंकी गई है।

3.4 कथित प्रदीप बागची और मेसर्स जगत बंधु टी इस्टेट प्रा.लिमिटे के दरम्यान उपरोक्त संपत्ति बिक्री विलेख सं. 6888 का निष्पादन पहली अक्टूबर, 2021 को हुआ था (RUD No. 7)। बिक्री विलेख में कथित संपत्ति का सरकारी मूल्य/बाजार मूल्य 20,75,84,200/- दर्शाया गया है, लेकिन इसकी प्रतिफल राशि रु. 7 करोड़ दर्शाई गई है, जिसका भुगतान मेसर्स जगतबंधु

टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के IDFC फर्स्ट बैंक, खाता संख्या 10060532973 के 11 चेकों द्वारा किया जाना दिखाया गया है। अन्वेषण से में यह भी ज़ाहिर हुआ है कि प्रदीप बागची के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 10301956970 में IDFC फर्स्ट बैंक, चेक संख्या 461153 के माध्यम से केवल 25,00,000 रुपये के एक हिस्सा की राशि का भुगतान किया गया था और शेष राशि को अन्य चेक के माध्यम से 2021 के डीड संख्या 6888 में गलत तरीके से भुगतान किया गया दर्शाया गया था। हालांकि आगे कोई भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन क्रेता और विक्रेता ने बिक्री विलेख के पृष्ठ 04 पर उल्लेख किया है कि -

"यह भी विदित हो कि प्रतिफल की कुल राशि मोबलिंग 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मात्र प्राप्त किये है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार व समपुष्ट करते हैं। अब विक्रय संपत्ति के मूल्य में किसी भी प्रकार की प्राप्ति विक्रेता को खरीदार से शेष नही रहा ।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि क्रेता द्वारा 7 (सात) करोड़ रुपये की पूरी राशि के भुगतान की घोषणा और विक्रेता द्वारा इसकी रसीद जानबूझकर, सोची-समझी और योजनाबद्ध तरीके से की गई है, ताकि उपरोक्त संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बिक्री विलेख में दर्ज फर्जी लेनदेन को वैध रूप दिया जा सके।

3.5 इस मामले में की गई अन्वेषण से यह भी प्रकट होता है कि रांची में MS 557, मोरहाबादी मौजा, वार्ड संख्या 21/19 में स्थित उपरोक्त संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 455.00 डिस्मिल है, आजादी के पहले से ही रक्षा (Defence) के कब्जे और आधिपत्य में थी। बचाव पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, यह पता चला है कि डिफेंस बी.एम. लक्ष्मण राव और उनके बेटे बी.एम. मुकुंद राव के कथित वंशज/दावेदार जयंत कर्नाड को मासिक किराया दे रहा था। एकत्रित किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों से पता चलता है/बताते हैं कि बी.एम. लक्ष्मण राव की मृत्यु वर्ष 1946 में और मुकुंद राव की वर्ष 1998 में हुई। वर्ष 2008 में, बी.एम. मुकुंद राव के बाद, जयंत कर्नाड ने संपत्ति के दावेदार की हैसियत से डिफेंस से किराया प्राप्त करना शुरू किया। वर्ष 2019 में, जयंत कर्नाड ने इस संपत्ति को, बहुत ही नगण्य राशि (के एवज में) पर 16 विलेखों के माध्यम से निम्नलिखित 14 व्यक्तियों को बेच दी। शुरुआत में जयंत कर्नाड बिना किसी वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के, डिफेंस से किराया प्राप्त करने में कामयाब रहे और बाद में वर्ष 2009 में, डिफेंस से अपने पक्ष में जमीन को उन्मुक्त कराने में सफल रहे। अन्वेषण से ज़ाहिर होता है कि जयंत कर्नाड को डिफेंस से जमीन पाने और उच्च न्यायालय से अनुकूल आदेश दिलाने में मदद करने वाले सभी दस्तावेजों की व्यवस्था एक वकील द्वारा की गई थी। जयंत कर्नाड ने पहली बार सेना से वर्ष 2008 में बैंक ऑफ इंडिया में अपने HUF खाते 450110110002549 में 417 रुपये का किराया प्राप्त किया। इसके बाद 1998 से 2008 तक के बकाया किराए के रूप में 50,640/- रुपए खाता संख्या 4501101000299692204 में प्राप्त किया । वह 28 दिसंबर, 2021 तक बैंक ऑफ इंडिया में धारित HUF खाता संख्या 450110110002549 में डिफेंस एस्टेट ऑफिस से किराया प्राप्त करते रहे हैं। जयंत कर्नाड ने अंततोगत्वा, 14 अलग-अलग व्यक्तियों को, कुल 2.55 करोड़ रुपए में जमीन बेच दी, जो उनके बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 450110110002549 (RUD No. 11 और 12) में प्रप्त हुई थी।

3.6 जैसा कि ऊपर कथन किया गया है कि इस संपत्ति के कब्जे को लेकर सेना और कथित दावेदार जयंत कर्नाड के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी, जिन्होंने तथ्यों को छिपाकर और हेरफेर करके झारखंड उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के बल पर 16 डीड (RUD No. 115 to KON 130) के जरिए, 14 लोगों को जमीन बेच दी थी। अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् अफसर अली, प्रदीप बागची और उसके सह अपराधियों ने इस बीच कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कार्यालय से एक फर्जी डीड तैयार कर ली। प्रफुल्ल बागची, पिता- (F/o) प्रदीप बागची के नाम पर (RUD No. 108 और 113)। यह मन्सूबाबन्दी (प्रोजेक्टेड) की गयी कि उनके पिता प्रफुल्ल बागची ने जमीन मौखिक रूप से सेना को दी थी और आज प्रदीप बागची संपत्ति के कथित सही (rightful) दावेदार हैं। ये लोग प्रेम प्रकाश (जो अवैध खनन मामले में एक अभियुक्त है और फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में है) से इस ज़मीन की बिक्री हेतु सम्पर्क स्थापित किया। प्रेम प्रकाश एक पावर- ब्रोकर और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जो झारखंड के उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों तक पहुँच रखता था। प्रेम प्रकाश रांची के पूर्व डी.सी श्री छवि रंजन और अमित कुमार अग्रवाल, ये भी झारखंड में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, के भी बहुत करीबी हैं। प्रेम प्रकाश और अमित कुमार अग्रवाल के साथ मिलीभगत से, श्री छवि रंजन ने अंचल कार्यालय और जिला अवर निबंधक, रांची के अधिकारियों को प्रभावित किया और प्रदीप बागची के लिए एक अनुकूल रिपोर्ट (RUD No. 27) प्राप्त करने में कामयाब रहे और बाद में जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संपत्ति को बेईमानी से हासिल कर लिया गया। अमित कुमार अग्रवाल और प्रेम प्रकाश दोनों व्यक्ति जानते थे कि मालिक प्रदीप बागची एक फर्जी व्यक्ति है और डीड झूठा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने केवल 25 लाख रुपये (जो वास्तव में कमीशन था) का भुगतान करके कई करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। बावजूद इसके, अमीत कुमार अग्रवाल ने, जो जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का लाभकारी मालिक है, जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर उपर्युक्त संपत्ति अर्जित की। रांची के तत्कालीन डी.सी श्री छवि रंजन ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके और अपने कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों की अनदेखी करके इन व्यक्तियों को उपरोक्त संपत्ति हासिल करने में सहायता की। श्री छवि रंजन को मालूम था कि उपर्युक्त संपत्ति विवादित है, क्योंकि डिफेंस और जयंत कर्नाड के बीच एक विवाद उनके निपटान में लंबित था, यानी रांची के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में, जिसकी अध्यक्षता वह अपने कार्यकाल के दौरान करते थे। फिर भी प्रदीप बागची के आवेदन की प्राप्ति पर, जिन्होंने खुद को संपत्ति का असली मालिक होने का झूठा दावा किया, तत्कालीन उपायुक्त, श्री छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, अफसर अली, सद्दाम हुसैन और अन्य की सहायता की और अंचलाधिकारी को मौखिक निदेश दिया कि कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस (अभिलेख) कार्यालय का दौरा करें और मूल विलेख से संपत्ति के असल मालिक को सुनिश्चित करें। अन्वेषण से जाहिर हुआ कि कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के रिकॉर्ड्स में मूल रजिस्टर पहले से ही कूटरचित/छेड़छाड़ किए गए थे और प्रदीप बागची के पक्ष में झूठा किया गया था और रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास उपलब्ध रिकॉर्ड्स को सत्यापित करने के लिए कोलकाता जाने का निर्देश एक अच्छी तरह से क्रियान्वित योजना थी, ताकि संपत्ति को अमित कुमार अग्रवाल को उनकी कंपनी जगत बंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सके।

57. इसके अलावा, दिलीप कुमार घोष का बयान जो पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत शिकायत के पैराग्राफ-8.9 में उल्लिखित है। तत्पर संदर्भ के लिए, इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

8.9 दिलीप कुमार घोष (अभियुक्त क्रमांक 2- मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक)

- पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज दिनांक 27.02.2023 के अपने बयान (RUD No. 17) में, आरोपी दिलीप कुमार घोष ने कहा कि जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड उनकी और अमित कुमार अग्रवाल की कंपनी है। उन्होंने कहा कि चाय की पत्तियां, कंपनी के चाय के पौधों से तोड़ी जाती हैं जो 120 एकड़ में फैली हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि चाय बागान में लगभग 155 मजदूर हैं, जिन्हें मजदूरी का भुगतान नकद में किया जाता है। जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के IDFC फर्स्ट बैंक के खाते में लगातार बड़ी नकदी जमा होने का कारण पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि यह कंपनी द्वारा अपने चाय बागान में बेची गई कच्ची चाय की पत्तियों की विक्रय के आगम हैं। जब उनसे पूछा गया कि नकदी कोलकाता के साल्ट लेक में क्यों जमा की जाती है, जबकि चाय जलपाईगुड़ी में कंपनी के बागान में बेची जाती है, तो उन्होंने भ्रामक जवाब दिए। आरोपी दिलीप कुमार घोष ने कहा कि चूंकि कंपनी का जलपाईगुड़ी में कोई बैंक खाता नहीं है और कोविड के कारण नकदी बैंक में जमा नहीं हुई, इसलिए वह जलपाईगुड़ी जाता था और कोलकाता में बैंक में जमा की गई नकदी को अपवाहन करता था। उन्होंने आगे कहा कि नकदी बीकाश जाना और दीपक साह के माध्यम से नकद के रूप में जमा की गई थी जो अमित कुमार अग्रवाल के कर्मचारी हैं।
- पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज दिनांक 07.06.2023 (RUD No. 79) के अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी कंपनियों का काम अमित कुमार अग्रवाल के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और उन कर्मचारियों के वेतन, पी.एफ और ई.एसआई का भुगतान भी अमित कुमार अग्रवाल द्वारा किया जाता है। उनके साल्ट लेक कार्यालय में, जहां वह अमित कुमार अग्रवाल के साथ बैठते हैं, वहां उनका कोई कर्मचारी नहीं था।
- पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 50 के तहत न्यायिक हिरासत में दर्ज अपने बयान दिनांक 09.06.2023 ((RUD No. 80) से यह ज़ाहिर होता है कि वह अमित कुमार अग्रवाल की कई कंपनियों के निदेशक रहे थे और उन्होंने अमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर उन कंपनियों के निदेशक का पद प्राप्त किया था। उन्होंने आगे कहा कि अमित कुमार अग्रवाल उन कंपनियों के बारे में निर्णय लेते थे। उन्होंने आगे बताया कि वह केवल राजेश मर्चन्डाइज़ को जानते हैं जो अमित कुमार अग्रवाल की कम्पनी है और उन्हें याद नहीं है कि वह इस कम्पनी में निदेशक थे या नहीं। उन्हें अमित कुमार अग्रवाल की अन्य कंपनियों में अपने निदेशक के रूप में भी याद नहीं है।

उपर्युक्त बयान से यह ज़ाहिर होता है कि वह अमित कुमार अग्रवाल के अधीन काम करने वाले सहयोगियों में से एक हैं और बिना दिमाग लगाए उनके निर्देशों का पालन करते हैं और इस तरह उन्हें अमित कुमार अग्रवाल की कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं है, जिनमें वे निदेशक रहे हुए हैं।

- अपने बयान दिनांक 10.06.2023 (RUD No. 81) में उन्हें अमित कुमार अग्रवाल की कंपनियों में उनके निदेशक होने को दर्शाने वाले रिकॉर्ड से सामना कराया गया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उन्हें बैंकिंग लेनदेन, उनके खातों में जमा नकदी, जिसे उन्होंने चाय की पतियों के कारोबार की बिक्री से प्राप्त आगम बताया और बैलेंस शीट में उनके द्वारा घोषित कंपनी का संगत (corresponding) टर्नओवर के बीच बे-मेल (मिसमैच) के बारे में भी सामना कराया गया, वे इसका कोई जवाब नहीं दे सके।

- दिनांक 11.06.2023 के अपने बयान (RUD No. 82) में उन्हें जगतबंधु टी एस्टेट प्रा.लिमिटेड के टी गार्डन का 15.05.2023 को पी.एम.एल.ए. की धारा 16 के तहत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी और कंपनी के बैंक खातों और बैलेंस शीट में दिखाए जाने वाले संबंधित उत्पादन और चाय पतियों के स्टॉक रजिस्टर से भी सामना कराया गया, जिसका रख रखाव इसी गार्डन में की जाती थी। उन्होंने असंतोषजनक और भ्रामक उत्तर दिया।

58. पूर्ववर्ती पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों में से एक प्रदीप बागची ने रांची नगर निगम के कार्यालय में जाली आधार कार्ड, जाली बिजली बिल और जाली कब्जा पत्र जमा करके दो होल्डिंग नंबर प्राप्त किए हैं और प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में होल्डिंग नंबर प्राप्त करने के बाद उक्त संपत्ति को मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया, जिसके निदेशक दिलीप कुमार घोष थे।

59. दिनांक 01.10.2021 को पंजीकृत इस संपत्ति के विक्रय विलेख (RUD No. 7) से यह दृष्टिगत हुआ कि उक्त संपत्ति का घोषित सरकारी मूल्य/बाजार मूल्य 20,75,84,200/- रुपये है, जबकि उक्त संपत्ति को 7,00,00,000/- रुपये की राशि में बेचा गया है, जो घोषित सरकारी दर की तुलना में अत्यधिक कम मूल्यांकित है।

60. अपने बयान में, जो पी.एम.एल.ए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनियों का काम अमित कुमार अग्रवाल के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और उन कर्मचारियों के वेतन, पी.एफ और ई.एसआई का भुगतान भी अमित कुमार अग्रवाल द्वारा किया जाता है। उनके साल्ट लेक कार्यालय में जहां वह अमित कुमार अग्रवाल के साथ बैठते हैं, वहां उनका कोई कर्मचारी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि वे अमित कुमार अग्रवाल की कई कंपनियों के निदेशक रहे हैं और उन्होंने अमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर उन कंपनियों का निदेशक पद प्राप्त किया था।

61. अब यह अदालत उपरोक्त स्थापित कानूनी विनिश्चय के आधार की पृष्ठभूमि में समानता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए प्रस्तुत तथ्यों की तरफ मुतवज्जह हो रही है और कानून की उपरोक्त स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले का दिलीप कुमार घोष, जिसे इस

न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन (बी.ए) सं.- 7233/2023 में दिनांक 28.11.23 के आदेश के बाबत जमानत प्रदान की गई है, के विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझती है।

(i) रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत संपत्ति जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बेची गई थी और वर्तमान याचिकाकर्ता उक्त कंपनी का लाभकारी मालिक है। "लाभकारी मालिक" को अधिनियम, 2002 की धारा 2(fa) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है *एक व्यक्ति जो एक रिपोर्टिंग इकाई के क्लाइंट का अंततः स्वामित्व या नियंत्रण करता है या वह व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो किसी न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है।*

"लाभकारी मालिक" की उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों में इसे लागू करते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का उक्त कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण है और दिलीप कुमार घोष केवल उक्त कंपनी का निदेशक और वर्तमान याचिकाकर्ता का करीबी सहयोगी है।

(ii) आगे, दिलीप कुमार घोष के बयान से यह स्पष्ट है कि उक्त कंपनी का कार्य अमित कुमार अग्रवाल के कर्मचारियों द्वारा किया गया था और उन कर्मचारियों के वेतन, पी.एफ. और ई.एस.आई. का भुगतान भी अमित कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया है।

(iii) दिलीप कुमार घोष के बयान से यह भी स्पष्ट है कि वह अमित कुमार अग्रवाल की कई कंपनियों के निदेशक रहे हैं और उन्होंने अमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर उन कंपनियों का निदेशक पद प्राप्त किया था।

(iv) जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ-16 से यह स्पष्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी, अर्थात मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से अमित कुमार अग्रवाल के नियंत्रण में है।

62. यह न्यायालय आरोपी व्यक्ति दिलीप कुमार घोष, जिसे जमानत दी गई है, द्वारा निर्भाई गई विभिन्न भूमिका के आधार पर और उसकी जवाबदेही की तुलना वर्तमान याचिकाकर्ता के कृत्य से करते हुए, इस विचार पर है कि यह नहीं कहा जा सकता कि दिलीप कुमार घोष द्वारा जो कृत्य किया गया, वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले के समान है, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई चर्चा और जवाबी हलफनामे को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त कंपनी, अर्थात मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से अमित कुमार अग्रवाल के नियंत्रण में है।

63. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले का संबंध है, अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के तहत प्रदत्त जुड़वां (ट्विन) शर्त पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे वर्तमान याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सके। यहां तक कि समानता के आधार पर भी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान याचिकाकर्ता की अपराध के घटित होने में भूमिका/संलिप्तता के आधार पर उक्त दिलीप कुमार घोष की तुलना में सरासर भिन्नता है।

64. उपरोक्त तथ्यों और यहां की गई उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का अभिमत है कि वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

65. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।

66. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का भी निपटारा हो जाता है।

67. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में व्यक्त किए गए विचार, प्रथम दृष्टया, केवल जमानत के मामले पर विचार करने के लिए हैं।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्या.)

सौरभ/

ए.एफ.आर.

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।